Hostel Form & Rules

श्री सोमनाथ संस्कृत युनिवर्सिटी,वेरावल

राजेन्द्रभुवनमार्ग, वेरावल-३६२२६६. (गीरसोमनाथ)

चन्द्रमौलि /गार्गी महिला छात्रावास

आवेदनपत्र

हाल का पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ लगाय

आवेदनपत्र क्रमाङ्क ....

प्रवेशदिनाङ्क(प्रथमसत्र) ....शुल्कपत्रसङ्ख्या...........................

प्रवेशदिनाङ्क(द्वितीयसत्र) ....शुल्कपत्रसङ्ख्या...........................

कक्षा.................. मुख्यविषय......................... गौणविषय..................................

१. आवेदक का नाम (देवनागरी लिपि मे)..

Name of the applicant (In English)..

२. पिता / पतिका नाम ....

३. माता का नाम ....

४. जन्मतिथि (DD/MM/YYYY).. आयु.....................वर्ष

५. वर्ग - सामान्य☐ ओ.बी.सी ☐ एस.टी ☐ एस.सी ☐

६. पत्रव्यवहार का पता ....

....

....

ई-मेलः-.. वोट्सअेप न..

मोबाईल नम्बरः-.......................................अभिभावक के मोबाईल नम्बर...

७. दो अभिभावक के नाम/ अभिभावक के साथ सम्बन्धः-

(१) ..../.....................................

(२) ..../.....................................

(८) अभिभावक के वार्षिक आयः-..

(९) क्या अभिभावक/पिता सरकारी सेवा मे है ?...

१०. प्रथमवर्ष मे आचार्यकक्षा शास्त्रीकक्षा मे उत्तीर्ण प्रवेश अथवा सस्कृत विषय के साथ स्नातक

Detail of ATKT: Acharya Sem-1 : No of Total ATKT paper no:______________________________

Acharya Sem-2 : No of Total ATKT paper no:______________________________

shastri/acharya Sem-3 : No of Total ATKT paper no: ______________________________

Shastri/Acharya sem-4: No Of Total ATKT Paper No: ______________________________

Shastri sem-5: No Of Total ATKT Paper No: ______________________________

Total Of all ATKT Paper No:______________________________

मै श्रीसोमनाथ सस्कृत युनिवर्सिटी के चन्द्रमौलि/गार्गी विद्यार्थी के रूप मे छात्रावास मे प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहता/ती हूँ। मै छात्रावास से सम्बन्धित सभी नियमो का पालन करूँगा/गी ऐसी प्रतिज्ञा करता/ती हूँ। युनिवर्सिटी द्वारा समय-समय पर छात्रालय के सञ्चालन के लिए जो सूचना दी गई है मै उन सूचनाओका पालन करूगा/गी। और-ऊपर लिखे गये मेरा विवरण सत्य है यह प्रतिज्ञा करता/ती हूँ।

दिनाङ्क –

स्थान – **विद्यार्थो के हस्ताक्षर** ....

इस विद्यार्थोको छात्रावास मे प्रवेश के लिए अनुमति दो जाती है। **अध्यक्ष/प्राचाय** **वोर्डन**

श्रीसोमनाथ सस्कृत युनिवर्सिटी, वेरावल

युनिवर्सिटी छात्रावास मे प्रवेश एव भोजन विषयक शुल्क (फी) के नियम

श्रीसोमनाथ सस्कृत युनिवर्सिटी वेरावल की E.C. ता. ०१/०४/२०१७ के दिन बैठक मे मुद्दा न. ४३.१० से ली गई निर्णय के अनुसार मान. कुलपतिश्री के अध्यक्षता मे ता. ०९/०५/२०१७ के दिन युनिवर्सिटी के छात्रावास मे प्रवेश एव भोजन विषयक शुल्क के नियमो को बनाने के लिए समिति (कमिटि) की बठक का आयोजन किया गया, जिसमे छात्रावास मे रहनेवाले विद्याथियोको दी जानेवाली निःशुल्क निवास एव भोजन की चर्चा की गई जिसमे अन्तिम तीन वर्ष मे उत्पन्न प्रश्नो के समाधान पर भी चर्चा की गई |

जिसमे विशेषकर विद्यार्थियो के छात्रावास मे उपस्थित होने पर भी शैक्षणिक कार्य मे अनुपस्थित रहना, युनिवर्सिटी के स्थावर सम्पदा को नुकसान पहुँचना तथा परीक्षा मे अनुत्तीर्णता का प्रमाण, युनिवर्सिटी के विशेष कार्यक्रम मे अनुपस्थिति तथा छुट्टी के विना एव अनुमति के बिना विद्यार्थियो के द्वारा कर्मकाण्ड का कार्य उपर्युक्त सभी विषयो को घ्यान मे रखते हुए विद्यार्थी सही अर्थ मे परिसर मे रहकर अध्ययन करे और विशेष ज्ञान का उपार्जन करे एव युनिवर्सिटी के सामान को नुकसान न पहुँचाये इस हेतु निम्न-लिखित विषयो के कारण शुल्क (फी) निर्धारित करने की सस्तुति की गई |

१. युनिवर्सिटी मे छात्रावास मे प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रवेश आवेदन पत्र के साथ एस.सी/एस.टी के विद्यार्थियो को रू. २००/- एव अन्य विद्यार्थियो को रू. ५००/- प्रवेश फी (शुल्क) भरना पडेगा जो नोन-रिफन्डेबल रहेगा |

२. छात्रावास मे प्रवेश पाये हुए विद्यार्थी युनिवर्सिटी के सम्पदा को नुकसान करेगे तो अथवा अन्य कोई उसके पास से अन्य कोई दण्ड लेने योग्य हो तो उस परिस्थिति मे उसकी योग्य डिपोजिट जो युनिवर्सिटी के पास हो तो ले सकते है उसके लिए एस.सी./एस.टी. के विद्यार्थियो के लिए १०००/- एव अन्य विद्यार्थियो के लिए २०००/- प्रवेश के समय डिपोजिट लेना है जो डिपोजिट विद्यार्थी युनिवर्सिटी मे अभ्यास पूर्ण होते अथवा युनिवर्सिटी छात्रावास मे रहना नही चाहते तब लौटाना (वापिस) रहेगा |

३. युनिवर्सिटी मे प्रोफेशनल कोर्ष अथवा स्वनिर्भर रूप मे चलता अभ्यासक्रम मे जैसे कि योग अभ्यासकम मे विद्यार्थियो के रहने की उपरोक्त फी के साथ व्यवस्था दी जाये परन्तु उनके भोजन बिल युनिवर्सिटी द्वारा ५०% दी जाये और ५०% विद्यार्थियो के द्वारा भोजन बिल भरना रहेगा |

जो ५०% भोजन बिल विद्यार्थियो को जमा करना है वह मास के ०१ से ०५ तारीख तक युनिवर्सिटी मे जमा करवाना रहेगा |

४.अ. युनिवर्सिटी द्वारा युनिवर्सिटी छात्रावास मे अभ्यास करने वाले शास्त्री एव आचार्य के विद्यार्थियो को निःशुल्क भोजन दिया जाता है | उनमे भी निम्नलिखित विषयो मे विद्यार्थी से आवश्यक फी (शुल्क) लेने का निश्चय किया गया है |

४.१. विद्यार्थी के छात्रावासकी मासिक उपस्थिति ८०% से अधिक होतो उनका भोजन बिल युनिवर्सिटी द्वारा १००% देने मे आयेगा | जब ८०% से कम एव ६०% से अधिक उपस्थिति हो तब उन विद्यार्थियो को मिले मासिक भोजन बिल मे युनिवर्सिटी ७५% देगी | और अन्य २५% विद्यार्थी को देना होगा, और ६०% से नीचे उपस्थिति हो तो विद्यार्थियो को मिले हुए मासिक भोजन बिल मे युनिवर्सिटी ५०% देगी, जब अन्य ५०% विद्यार्थियो को देना होगा | (बोमारो के कारण से गृहपति या गृहमाता एव छात्रावास के अध्यक्ष की मजूरी मिली हो और अनुपस्थित रहनेवाले विद्यार्थी के उपस्थिति को मान्य रखा जायेगा, जिसके लिए विद्यार्थी को प्रमाण-पत्र देना रहेगा |

४.२. शास्त्री प्रथम वर्ष (सभी-विद्यार्थी एव आचार्य प्रथम वर्ष मे परम्परा के सिवाय विद्यार्थियो) के लिए युनिवर्सिटी द्वारा वर्ष के दौरान उनकी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जायेगी | जब शास्त्री सेमेस्टर (सत्र) -३ से तथा आचार्य सेमेस्टर-२ से जो विद्यार्थी जितने पेपर मे अनुत्तीर्ण (एटीकेटी मिले हो) होगे उनके मासिक भोजन बिल के प्रश्नपत्र के सख्या के अनुसार १०% भोजन के बिल विद्यार्थियो के द्वारा स्वय भरना होगा | जो ऐटीकेटी सोल्व हो जाये विद्यार्थियो के द्वारा छात्रालय के अध्यक्षश्री को सूचित करना रहेगा | ऐटीकेटी सोल्व करने के बाद उक्त १०% रकम भरना नही रहेगा. जो रकम विद्यार्थियो के द्वारा युनिवर्सिटी मे उक्त रकम ०१ से ०५ तारीख तक जमा करवाने मे नही आया तो युनिवर्सिटी द्वारा सम्बन्धित विद्यार्थियो का भोजन बिल चुकाने मे नही आयेगा |

४.(ब) छात्रावास मे रहनेवाले छात्रो की शिष्टता एव अध्ययन से सम्बन्धित नियमितता के लिए वार्डन,गृहपति सम्बन्धित अधिकारियो से परामर्श करे एव उसकी सूचना दे |

५. छात्रावास से सम्बन्धित कोई भी प्रश्न या समस्या हो तो प्रथम गृहपति/गृहमाता एव वार्डन के साथ सम्पर्क करे तथा उनके द्वारा आवश्यकता होने पर कार्यालय एव कोलेज के सम्बन्धित अधिकारीश्री को लिखित मे सूचना द / सूचित करे|

६. छात्रो को नियमित रीति से पौष्टिक एव योग्य गुणवता युक्त भोजन रसोईये के द्वारा मिलता रहे इसका ध्यान वार्डन एव गृहपति रखे |

७. परस्पर रागद्वेष एव झगडे करनेवाले विद्यार्थियो को छात्रावास मे से वार्डन, गृहपति निकाल सकता है |

८. सेमेस्टर(समसत्रीय) परीक्षा मे तीन से अधिक विषय मे पास नही हुए विद्यार्थियो को जब-तक सेमेस्टर मे उत्तीर्ण नही होते है तब-तक छात्रावास मे अपने खर्च से (भोजन + निवास) के लिए जो निश्चित किया जायेगा उसके अनुसार शुल्क देना पडेगा |

९. छात्रावास मे रहकर अभ्यास करनेवाले छात्रो के द्वारा सप्ताह मे एकबार छुट्टी के दिन समूह मे सफाई के कार्यक्रम मे भाग लेना रहेगा | (बोमार हो तो उस स्थितिमे मुक्ति मिल सकती है |

१०. छात्रावास से सम्बन्धित प्रवेश-पत्र मे विद्यार्थी सम्पूर्ण जानकारी, फोटो से सम्बन्धित एव स्थानिक सम्पर्क विद्यार्थी के प्रवेश-पत्र के साथ जानकारी दी जाये जिसने तात्कालिक सम्पर्क करने मे सरलता रहे |

११. किसीभी छात्र को विद्यालय मे प्रवेश मिलने मात्र से छात्रावास मे प्रवेश मिले यह आवश्यक नही|अथवा (छात्रावास मे प्रवेश का पात्र बनता नही)

१२. छात्रावास मे समय-सारणि के अनुसार उठना/जागना एव प्रवृत्ति करनी पडगी |

१३. छात्रावास से बाहर जाना हो तो कारण के साथ गृहपति को पहले सूचित कर छुट्टी मिलने के पश्चात् ही छुट्टी के आवेदन पत्र देकर ही बाहर जा सकते है |

१४. छात्रावास मे विद्यार्थियो के द्वारा स्वय के प्रकोष्ठ (रूम) की एव छात्रावास की स्वच्छता का ध्यान स्वय रखना होगा |

१५. छात्रावास मे विद्याथी किसी भी बाहरी अनधिकृत व्यक्तियो को नही लाये |

१६. कोई भी विद्यार्थी गृहपति/गृहमाता/अधिकारी की अनुमति के बिना कर्मकाण्ड करना या अन्य कोई कारण से बाहर जाना मना है |

१७. छात्रावास मे रहनेवाले छात्रो की युनिवर्सिटी मे नियमानुसार उपस्थिति नही हो तो उन छात्रो का छात्रावास मे रहने को नही मिलेगा /रहने नही दिया जायेगा | युनिवर्सिटी के नियमित छात्र के रूप मे परीक्षा देने को नही मिलेगी एव पहले जितने समय रहे होगे उसके नियमानुसार भोजन बिल चुकाना पडगा |

१८. छात्रावास मे पान, मावा,तम्बाकू,गुटखा या अन्य कोई प्रकार के व्यसन करने की सख्त मनाई है | जो छात्र व्यसन करेगा उसके पास से १००/- रूपये का दण्ड/जुर्माना लिया जायेगा और माफीपत्र लिखना रहेगा |

१९. युनिवर्सिटी की ओर से छात्रावास मे मिले कोई भी वस्तु को ठीक से रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित-विद्यार्थियो की स्वय की रहेगी |

२०. छात्रावास मे किसी भी वस्तु को नुकसान हो तो नुकसान करनेवाले के पास से खर्च वसूल किया जायेगा |

२१. छात्रवास मे प्रवेश मिलने वाले विद्यार्थियोको युनिवर्सिटी द्वारा जो निश्चित करने मे आये वह प्रवेश-शुल्क (फी) और डिपोजिट करना रहेगा |

२२. रूम(कमरा) एव छात्रावास से निकलने से पहले लाईट,पखा और पानी के नल बन्द करके ही निकलना रहेगा |

२३. छात्रावास मे किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक साधनो (ईस्त्री,हिटर, आदि) का उपयोग करना मना है |

२४. छात्रावास मे किसी भी प्रकार की कीमति वस्तुओ को रखना मना है और यदि कोई रखता है और खो (गुम) हो जाता है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी छात्र की स्वय की होगी |

२५. छात्रावास मे वार्डन एव डेप्युटी वार्डन के अनुमति के बिना कमरा (रूम) बदल नही सकते|

२६. रात्रि के ०९:०० से सुबह के ०५:३० के समय आकस्मिक कारण के सिवाय/अलावा बाहर नही जा सकेगे | आकस्मिक कारण के समय अधिकारीश्री से अनुमति लेकर जा सकेगे |

२७. छात्रावास मे रहनेवाले विद्यार्थियो को समय-समय पर युनिवर्सिटी परिसर मे होनेवाले कार्यक्रम मे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा |

२८. छात्रावास मे वोर्डन,डेप्युटी वोर्डन एव युनिवर्सिटी के अधिकारीश्री/कर्मचारीश्री आकस्मिक निरीक्षण के लिये जब भी ठीक लगे आ सकते है और कोई भी छात्र नियम के विरूद्ध प्रवृति करता हुआ पकडा गया तो दण्डात्मक कार्यवाही किया जायेगा |

२९. ग्रीष्मावकाश के समय छात्रावास मे अपने सामान को ठीक से पैक करके स्टोर रूम मे स्वय की जवाबदारी/जिम्मदारी पर जाना होगा अथवा अपने साथ अपना सामान ले जा सकते ह |

३०. नये सत्र के प्रारम्भ मे वोर्डन,डेप्युटी वोर्डन द्वारा पुनः रूम की व्यवस्था करने मे आयेगा | जिससे किसी विद्यार्थी को किसी एक रूम के उपर स्वय का हक्क/अधिकार नही रहेगा |

३१. छात्रावास मे नियम विरूद्ध किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करने मे एक विद्यार्थी या तीन या उसके अधिक पकड मे आयेगे तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाये तो छात्र को मानना पडगा | अथवा जो भी-कार्यवाही की जाये तो छात्रो के लिए वह कार्यवाही मान्य रहे|

३२. उपरोक्त नियमो मे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने का अधिकार युनिवर्सिटी एव उससे सम्बन्धित समिति को रहेगा एव नियमो का पालन करने की जिम्मेदारी छात्रो की रहेगी |

उपरोक्त सभी नियमो को मैने पढ लिया है और मुझे बन्धन कर्त्ता है/मै वचनबद्ध हूँ. जो कोई भी नियम मेरे से टूटेगा और सस्था गृहपति को आवश्यक लगेगा तो मेरे ऊपर नियमानुसार एक्शन (कार्यवाही) कर सकते है जो मझे मान्य होगा उसकी मै वचन लेता/ती हूँ |

विद्यार्थी के हस्ताक्षर...